न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 – 102/2022

अनवान :–

1. मैनपाल पुत्र मगनीराम जाति जाट निवासी खचवाना त0 भादरा।

वादी

बनाम

1. मगनीराम पुत्र चेनाराम जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।
2. धर्मपाल पुत्र मगनीराम जाति जाट निवासी खचवाना त0 भादरा।
3. चन्द्रकला पुत्री मगनीराम पत्नी बलवंत जाति जाट निवासी खचवाना हाल निवासी नेठराना त0 भादरा।
4. कान्ता पुत्री मगनीराम पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी खचवाना हाल निवासी नेठराना त0 भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व तहसील भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री कृष्ण भारी वादी
श्री सुरेन्द्र गढ़वाल प्रतिवादी

निर्णय

दिनांकः 25/05/23

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा ग्राम 2 बारानी पटवार मण्डल खचवाना के खाता स0 68/57 के मु0न0 3 के किला न0 12/1, 13, 14, 17, 18, 19/1, 22/1, 23, 24 की कुल 1.4800है0 तथा चक 1 एनटीआर के खाता सं0 45/80 के मु0न0 1 के किला न0 15, 16, 25 मु0न0 2 के किला न0 11, 12, 19 ता 21, 22/1, मु0न0 11 के किला न0 1/1, 1/2 मु0न0 12 के किला न0 5/1, 5/2 मु0न0 22 के किला न0 1/1, 1/2, 10 की कुल 2.9230है0 वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 मगनीराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति–रिवाज से शासित है। वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी अपने हिस्से की भूमि .को अपने दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण आजकल आजकल करने लगे। अतः वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यही बिनाय मुखारमत है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 4 ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 5 की ओर से जवाब पेश किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया वाद भूमि रोही मौजा चक 2 बारानी व 1 एनटीआर वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है उपरोक्त वाद भूमि के अलावा चक 5 डीपीएन व चक 1 एनटीआर की भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम यथावत रखी जावे। अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन है। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा रोही मौजा ग्राम 2 बारानी पटवार मण्डल खचवाना के खाता सं0 68/57 के मु0न0 3 के किला न0 12/1, 13, 14, 17, 18, 19/1, 22/1, 23, 24 की कुल 1.4800है0 तथा चक 1 एनटीआर के खाता सं0 45/80 के मु0न0 1 के किला न0 15, 16, 25 मु0न0 2 के किला न0 11, 12, 19 ता 21, 22/1, मु0न0 11 के किला न0 1/1, 1/2 मु0न0 12 के किला न0 5/1, 5/2 मु0न0 22 के किला न0 1/1, 1/2, 10 की कुल 2.9230है0 वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 मगनीराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अपने हकों की घोषणा चाही है। प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादी के साथ-साथ प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं0 1 के वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 4 के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। उपरोक्त वाद भूमि में वादी के साथ साथ प्रतिवादी सं 1 ता 4 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है चूंकि प्रतिवादी सं0 3 ता 4 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। वाद भूमि के अलावा अन्य कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम होना राजीनामा में स्वीकार किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है की रोही मौजा ग्राम 2 बारानी पटवार मण्डल खचवाना के खाता स0 68/57 के मु0न0 3 के किला न0 12/1, 13, 14, 17, 18, 19/1, 22/1, 23, 24 की कुल 1.4800है0 तथा चक 1 एनटीआर के खाता सं0 45/80 के मु0न0 1 के किला न0 15, 16, 25 मु0न0 2 के किला न0 11, 12, 19 ता 21, 22/1, मु0न0 11 के किला न0 1/1, 1/2 मु0न0 12 के किला न0 5/1, 5/2 मु0न0 22 के किला न0 1/1, 1/2, 10 की कुल 2.9230है0 वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 मगनीराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 मगनीराम का नाम कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर वादी मैनपाल तथा प्रतिवादी सं0 2 धर्मपाल को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25/05/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुंतला चौधरी) R.A.S
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा / जिला हनुमानगढ़

डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस

मि0न0 — 102 / 2022

अनवान : —

1. मैनपाल पुत्र मगनीराम जाति जाट निवासी खचवाना त0 भादरा।

वादी

बनाम

1. मगनीराम पुत्र चेनाराम जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।
2. धर्मपाल पुत्र मगनीराम जाति जाट निवासी खचवाना त0 भादरा।
3. चन्द्रकला पुत्री मगनीराम पत्नी बलवंत जाति जाट निवासी खचवाना हाल निवासी नेठराना त0 भादरा।
4. कान्ता पुत्री मगनीराम पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी खचवाना हाल निवासी नेठराना त0 भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व तहसील भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री कृष्ण भारी व वकील प्रतिवादीगण श्री सुरेन्द्र गढवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ग्राम 2 बारानी पटवार मण्डल खचवाना के खाता स0 68 / 57 के मु0न0 3 के किला न0 12 / 1, 13, 14, 17, 18, 19 / 1, 22 / 1, 23, 24 की कुल 1.4800है0 तथा चक 1 एनटीआर के खाता सं0 45 / 80 के मु0न0 1 के किला न0 15, 16, 25 मु0न0 2 के किला न0 11, 12, 19 ता 21, 22 / 1, मु0न0 11 के किला न0 1 / 1, 1 / 2 मु0न0 12 के किला न0 5 / 1, 5 / 2 मु0न0 22 के किला न0 1 / 1, 1 / 2, 10 की कुल 2.9230है0 वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 मगनीराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 मगनीराम का नाम कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर वादी मैनपाल तथा प्रतिवादी सं0 2 धर्मपाल को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

खर्चा डिक्री आज दिनांक 25/05/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुंतला चौधरी)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़